न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री सत्तार खान, आर0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,अजमेर)

अपील संख्या :- 13 /2020/भीलवाड़ा (2020/00013)

1. नानी बलाई पुत्री गोकल बलाई जाति बलाई जरिये वारिसान :-
   1/1-भैरूलाल पुत्र नानी
   1/2-बालीबाई पुत्री नानी
   1/3-सुरती बाई पुत्री नानी
   1/4-गोपाललाल पुत्र नानी
   1/5-धापू पुत्री नानी(मृतक)जरिये वारिसानः-
   1/1-रामदयाल पुत्र धापू
   1/2-शंकर पुत्र धापू
   समस्त जाति बलाई निवासी ग्राम रीठ तहसील कोटडी जिला भीलवाड़ा

अपीलांट्स

बनाम

1. श्रीमती हीरू बेवा रामा जाति बलाई निवासी रीठ तहसील कोटडी जिला भीलवाड़ा
2. श्री भैरू पिता रामा जाति बलाई निवासी रीठ तहसील कोटडी जिला भीलवाड़ा
3. श्री बालु पिता रामा जाति बलाई निवासी रीठ तहसील कोटडी जिला भीलवाड़ा
4. श्रीमती सीता बेवा कैलाश जाति बलाई निवासी रीठ तहसील कोटडी जिला भीलवाड़ा
5. ग्राम पंचायत रीठ पं0स0कोटडी जिला भीलवाड़ा(राज0)जरिये सरपंच
6. राजस्थान सरकार जरिये उपखण्ड अधिकारी, टोडारायसिंह जिला टोंक

रेस्पोडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 76 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 विरूद्ध निर्णय विद्वान उपखण्ड अधिकारी, कोटडी जिला भीलवाड़ा दिनांक 04.06.2015 प्रकरण संख्या 06/2011 एंव नजरसानी प्रार्थना पत्र संख्या 12/2020(2020/00012)

उपस्थितः-

1. श्री गौतम टांक, वकील अपीलांट्स ।
2. श्री गोविन्द शर्मा,वकील रेस्पो0 संख्या 1 से 4.

निर्णय

दिनांकः-22.01.2020

अपीलांट ने यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, कोटडी जिला टोंक (संक्षेप में अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.06.

2015 (संक्षेप में अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की हैं एंव इस न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 14.01.2020 द्वारा यह अपील खारिज की गई थी अपीलांट अभिभाषक द्वारा उक्त निर्णय के विरूद्ध नजरसानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसे स्वीकार कर अपील पुनः सुनवाई हेतु नम्बर पर ली गई ।

1- अपील में प्रस्तुत रिकार्ड के अवलोकन पर पाया गया कि नानी बलाई की मृत्यु प्रमाण पत्र के स्थान पर अन्य किसी श्रीमती दयावती माता का नाम लक्ष्मी देवी,पिता/पति का नाम पुन्नी लाल रारिया निवासी चांदमारी,शिव मंदिर के पास आुरोड सिरोही का संलग्न होने से अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 सपठित धारा 151 सीपीसी को अस्वीकार करते हुए अपील संधारण योग्य नहीं होने के कारण इस न्यायालय द्वारा दिनांक 14.01.2020 को खारिज कर दी गई थी । अपीलांट द्वारा एक नजरसानी प्रार्थना पत्र धारा 86 पेश कर निवेदन किया गया कि सहवन से अपीलार्थी नानी बलाई का मृत्यु प्रमाण पत्र की जगह किसी अन्य का मृत्यु प्रमाण पत्र पेश हो गया जिसके कारण तकनिकी आधार पर अदालत हाजा ने अपील खारिज फरमायी। नजरसानी के प्रार्थना पत्र के साथ नानी का सही मृत्यु प्रमाण पत्र पेश किया साथ ही मौखिक रूप से निवेदन किया कि अपील के फर्द अहकाम का अवलोकन फरमावें अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 सपठित धारा 151 सीपीसी दिनांक 15.01.2019 को स्वीकृत किया जाकर कायम मुकाम को रिकार्ड पर लिया जा चुका है । न्यायालय हाजा द्वारा नजरसानी के प्रार्थना पत्र को धारा 151सीपीसी की शक्तियों के तहत न्यायहित में स्वीकार किया गया इस स्थिति में अपील को पुनः सुनवाई करके निर्णय पर पुर्नविचार किया गया ।

2- यह कि प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि श्रीमती नानी बलाई पुत्री श्री गोकल बलाई की इकलौती संतान है अपीलांट के पिता के नाम पर ग्राम वाके रीठ तह0कोटडी जिला भीलवाड़ा की शरहद में आराजी न0 707 रकबा 0.11 आराजी न0 711 रकबा 0.04 आराजी न0713 रकबा 2.03 आराजी न0714 रकबा 0.17 आराजी न0715 रकबा 2. 01 आराजी न0 716 रकबा 0.09 आराजी न0 717 रकबा 0.04 आराजी न0718 रकबा 0.13 कुल किता 8 रकबा 7 बीघा 02 बिस्वा स्थित है जो रेस्पोडेन्ट ने उक्त आराजी अपीलांट के पिता की मृत्यु होने पर रेस्पोडेन्ट 1 से 4 लगायात के दादा नारायण ने सांठगांठ कर अपीलांट के पिता की आराजी को मिलीभगत कर राजस्व रिकार्ड में गोदपुत्र के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 42 दिनांक 02.03.1959 से अपने नाम पर दर्ज करवा ली जबकि किसी भी रूप में वो गोदपुत्र नही था ना कोई विधिक अधिकार उनको प्राप्त था ना ही वे अपीलांट के पिता के कोई विधि वारिसान थे । अपीलांट के पिता ने ना तो अपने जीवनकाल में किसी को गोद लिया था ना किसी को दत्तक पुत्र बनाया था ना उक्त आराजी किसी को अंतरण की थी । अपीलांट स्व0 गोकल की विधिक वारिसान है । अधिनस्थ न्यायालय ने निर्णय दिनांक 04.06. 2015 द्वारा अपीलार्थी की अपील को मियाद के बिन्दु के आधार एंव

उसी विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील को मेरिट पर खारिज कर अपने निर्णय से दो प्रकार के निर्णय पारित कर भारी विधिक भूल की है ।

3- अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी किये गये अधीनस्था न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत तथा रेस्पोडेन्ट के विद्धान वकील द्वारा प्रकरण में बहस किये जाने पर प्रकरण में उभयपक्षी बहस सुनी गई ।

4- अपीलांट के विद्धान अभिभाषक ने दौराने बहस अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों को ताईद करते हुए कथन किया गया गोकल के कोई पुत्र संतान नहीं थी एक मात्र पुत्री अपीलार्थी नानी है,जो एक अशिक्षित वयोवद्ध महिला है पिता के निधन के बाद रेस्पोडेन्ट के दादा ने रेस्पोडेन्ट 5 व 6 से मिलीभगत कर राजस्व अभिलेख में गोदपुत्र बता दिया जबकि किसी भी रूप में गोदपुत्र नही था अपीलांट स्व0 गोकल की विधिक वारिसान है। मियाद के बिन्दु के आधार पर अपीलार्थी का अधिकार खत्म नहीं किया जा सकता एंव विवादित नामांमान्तरण को खोलने का अधिकार ग्राम पंचायत के पास नहीं है । नामान्तरकरण की कार्यवाही में नायब तहसीलदार /पंचायत के समक्ष पक्षकार नहीं हो तब अपील देरी से प्रस्तुत करने को स्वीकार करके देरी को माफ करना चाहिए । सवौच्च न्यायालय के मतानुसार मियाद पर जस्टिस के लिए लिबरल दृष्टिकोण न्यायालय को अपनाना चाहिए । अतः अपीलार्थी की अपील को स्वीकार कर विद्धान उपखण्ड अधिकारी, कोटडी जिला टोंक (संक्षेप में अधीनस्थ न्यायालय) द्धारा पारित निर्णय दिनांक 04.06.2015 को अपास्त किया जाकर प्रकरण का सूक्ष्म विवेचना का आदेश दिया जावे । अपीलार्थी द्वारा 24. 08.15 को अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय की प्रमाणित प्रति प्राप्त कर बिना कोई देरी किये द्धितीय अपील के साथ मियाद अधिनियम धारा 5 का प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने की गुजारिश कर अपीलांट के पिता की आराजी अपीलांट के नाम दर्ज फरमाने का आदेश चाहा है ।

5- अपीलांट अभिभाषक ने बहस को समाप्त करते हुए मुख्य तर्क यह दिया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी की अपील को मियाद के बिन्दु के आधार पर बिना गुणावगुण के आधार पर अपील को खारिज कर दिया जो उचित नहीं है । इस तर्क की पुष्टि न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये हैं । अतः अधीनस्थ न्यायालय ने त्रृटिपूर्वक निर्णय पारित किया है उसे अपास्त कर अपील स्वीकार की जावे तथा प्रकरण को गुणावगुण के आधार पर निर्णय किये जाने रिमाण्ड किये जाने का निवेदन किया ।

6- रेस्पोडेन्ट के विद्धान अभिभाषक द्वारा गोकल बलाई की विवादित भूमि के संबंध में 45 वर्ष बाद अपील स्वीकार करना उचित नहीं होना बताते हुए आगे बहस में गोकल की पुत्री होना या नहीं होना साक्ष्य का विषय बताते हुए पुत्री को इतनी लाम्बी अवधि में इन्तकाल का ज्ञान होना स्वीकार्य नहीं माना जा सकता फिर नामान्तरकरण की कार्यवाही से रेस्पोडेन्ट के इतने वर्षो की खातेदारी को एकाएक समाप्त नहीं किया जा सकता ।

7- रेस्पोडेन्ट के विद्धान अभिभाषक द्वारा आगे बहस में उल्लेख किया कि विवादास्पद विरासतन अधिकार के संबंध में अपीलार्थी को रेगुलर वाद

दायर करना चाहिए था लैण्ड रेवेन्यू एक्ट एक प्रक्रियात्मक कार्यवाही के प्रावधान वाला एक्ट है जबकि टिनेन्सी एक्ट के प्रावधानों के तहत किसी का खातेदारी अधिकार घोषित अथवा समाप्त किया जा सकता है ।

8- अभिभाषक अपीलान्ट ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 Limitation Act पर बहस करते हुए कथन किया कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.06.2015 को अधीनस्थ न्यायालय ने पारित किया जबकि 04.06.2015 से 15.07.2015 तक की अवधि में राजस्व अभियान कैम्प के तहत अधीनस्थ न्यायालय राजस्व कैम्प में उपस्थित थे जिससे उक्त निर्णय की जानकारी अपीलार्थी को नहीं हो पायी थी । जानकारी प्राप्त होते ही अपीलांट ने 24.08.2015 को प्रमाणित प्रति प्राप्त कर बिना कोई देरी किये अभिभाषक से सम्पर्क कर अपील तैयार करवाई और जानकारी से अन्दर मयाद सेवा में प्रस्तुत की जा रही है। अपीलाधीन आदेश एकपक्षीय आदेश है जिसकी जानकारी प्रार्थी को नही थी और अपील पेश करने मे लगा समय सदभाविक देरी है जिसे क्षमा किये जाने का निवेदन किया ।

9- अभिभाषक अपीलांट द्वारा बहस के समर्थन में मेरा अध्यान निम्न न्यायिक दृष्टांतों 1-2017(2)RRT 1401ए 2-2016 RBJ 769ए 3-2019 RBJ 69, 4-2015 RBJ 482(SC) 5-1997 RBJ 295 RB की ओर आकर्षित करते हुए अपील अपीलांट स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

10- सर्वप्रथम हम सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण अपील के निर्णय से पूर्व करना उचित समझते है। धारा 5 के प्रार्थना पत्र के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय के स्तर की उचित न्याय व एकतरफा कार्यवाही अनुसार निर्णय के कारण यह अपील प्रस्तुत करने में देरी हुई है हम अपीलांट का यह तर्क उचित एंव सद्भाविक प्रतीत होना मानते है । मियाद के बिन्दु पर किसी भी प्रकरण का गुणावगुण पर अंतिम विनिश्चयन नहीं हो सकता इसलिए हम न्यायहित में अपीलांट को सुना जाना न्यायोचित समझते है अतः अपील में हुए विलम्ब क्षम्य किया जाकर प्रार्थना पत्र धारा 5 अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

11- हमने उभय पक्ष के अभिभाषक की बहस को ध्यानपूर्वक सुना तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख सहित अदालत हाजा की पत्रावली का अवलोकन किया तथा अभिभाषकगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों एंव विधि प्रावधानों का सूक्ष्मता से अध्ययन किया हम अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट के इस तर्क से पूर्णतया सहमत है कि गोकल बलाई की विवादित भूमि के संबंध में 45 वर्ष बाद अपील स्वीकार करना उचित नहीं है साथ ही गोकल की पुत्री होना या नहीं होना साक्ष्य का विषय है । पुत्री को इतनी लाम्बी अवधि में इन्तकाल का ज्ञान होना स्वीकार्य नहीं हैं इससे नामान्तरकरण की कार्यवाही से रेस्पोडेन्ट के इतने वर्षो की खातेदारी को एकाएक समाप्त नहीं किया जा सकता । विवादास्पद विरासतन अधिकार के संबंध में अपीलार्थी को रेगुलर वाद दायर करना चाहिए था लैण्ड रेवेन्यू एक्ट एक प्रक्रियात्मक कार्यवाही के प्रावधान वाला एक्ट है जबकि टिनेन्सी एक्ट के प्राधानों के तहत किसी का खातेदारी अधिकार घोषित अथवा समाप्त किया जा सकता है । नामान्तरकरण की प्रक्रिया का स्वरूप फिस्कल है तथा नामान्तरकरण करते समय गोदनामे के बारे में

अथवा बसीयत पर अन्य उत्तराधिकारियों के बारे में पूछताछ नहीं की जा सकती । यदि किसी पक्षकार को इससे अंसतोष हो तो वह नामान्तरकरण आदेश के विरूद्ध नियमित वाद ला सकता है । इस मामले में ग्रम पंचायत की तस्दीक के अनुसार इन्द्राज स्वीकार करने में कोई कानूनी गलती नहीं की गई है पत्रावली से यह स्पष्ट नहीं है कि नामान्तरकरण की प्रक्रिया के समय किसी प्रकार का विवाद या अपीलार्थी को कोई उज्रदारी थी अथवा किसी प्रकार का विरोध किया गया था जिससे पक्षकारों को सुनने की अपेक्षा की जाती। इस प्रकार बिना किसी विरोध अथवा प्रतिवाद के ग्राम पंचायत का इंतेकाल दर्ज करने का पूर्ण क्षैत्राधिकार था। अपीलार्थी नानी द्वारा स्वंय के गोकल बलाई की संतान होने के प्रमाण का दस्तावेज रिकार्ड में उपलब्ध नहीं है व रेस्पोडेन्ट के दादा द्वारा गोदनामा के माध्यम से विरासत खुलवाये जाने के विरूद्ध कोई दस्तावेज एंव विधिक वारिसान का दावा प्रस्तुत देरी से प्रस्तुत करने का उचित कारण क्या रहा रिकार्ड में नहीं है । अपीलार्थी अपने खातेदारी अधिकार की घोषणा का वाद सक्षम न्यायालय में लाकर अपने अधिकारियों का प्राप्त करने हेतु स्वतंत्र है क्योंकि रेगुलरवाद में विचारण की एक विस्तृत प्रक्रिया है जबकि नामान्तरकरण एक संक्षिप्त विचारण वाली फिस्कल प्रक्रिया है जिससे किसी प्रकार के हक अधिकारों का निर्णय नहीं हो सकता है अतः अपील अपीलांट स्वीकार योग्य नहीं हैं ।

–:क्रियात्मक आदेशः

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील संख्या 13/2020 (2020/00013) बउनवानी नानी बलाई जरिये वारिसान भैरूलाल व अन्य बनाम हीरू व अन्य को खारिज किया जाकर उपखण्ड अधिकारी, कोटडी जिला भीलवाड़ा द्वारा प्रकरण संख्या 06/2011 बउनवान नानी बलाई व हीरू व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 04.06.2015 को यथावत रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(सत्तार खान)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

आदेश आज दिनांक 22.01.2020 को मेरे द्धारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(सत्तार खान)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sattar Khan
Date: 2020.01.31 10:49:18 IST
Reason: SelfAttested
Location: